कांग्रेस की नीयत अब भी तानाशाही : नड्डा

भाजपा बोली- आज भी दिखता है सत्ता का अहंकार

- कांग्रेस की सोच अब भी वही
- लोकतंत्र पर आपातकाल था हमला

नयी दिल्ली, 25 जून. भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूरे होने पर आज कहा कि कांग्रेस की नीयत अब भी तानाशाही वाली है और कांग्रेस शासित राज्यों में विरोध का क्रूर दमन, धार्मिक तुष्टीकरण और सत्ता का अहंकार खुलेआम दिख रहा है.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज सुबह एक बयान में कहा, 25 जून, 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 'आंतरिक अशांति' का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी.

50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है, उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है. नड्डा ने

कहा,1975 में अदालत ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया और उन्हें 6 वर्षों तक किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया.

आपातकाल कांग्रेस का पाप : शिवराज

नयी दिल्ली 25 जून. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि आपातकाल कांग्रेस का पाप है और उसे इसके लिए उसे क्षमा याचना करनी चाहिए .चौहान ने आज यहां आपातकाल की 50 वीं वर्षगांठ पर कहा कि एक व्यक्ति की सनक ने तय कर दिया कि पूरे देश में नसबंदी करो और उसके लिए लक्ष्य तक तय कर दिए गए . जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई और संविधान की रक्षा की, उन्हें जेलों में डाल दिया गया . उन्होंने कहा, कांग्रेस को तो इस पाप, अत्याचार, अन्याय के लिए माफी मांगनी ही चाहिए . उन्होंने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए कहा,मुझे 17 साल की उम्र में गिरफ्तार करके डंडों से पीटा, हाथों में हथकड़ियां लगाई और जेल भेज दिया . मैंने जेल जाते वक्त पूरे रास्ते में नारे लगाए कि जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, जुल्म किया तो और लड़ेंगे . जब मैं जेल में गया तो, ये सुनकर मेरी दादी मां बीमार हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन पुलिस ने मुझे अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं जाने दिया . केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे कई नेता थे जिन्हें अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर अंतिम दर्शन में शामिल नहीं होने दिया गया . इसलिए, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाई, उन्हें निश्चित रूप से लोकतंत्र सेनानी कहा जाना चाहिए . चौहान ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाने वालों, लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन करने वालों और संविधान की रक्षा करने वालों को जेल भेज दिया गया . उन्होंने कहा कि यह आजादी के लिए तीसरा आंदोलन था .

संविधान संकट में, जिम्मेदार मोदी

नयी दिल्ली, 25 जून. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा घटाई है।

देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान की लोकप्रियता से घबराकर आपातकाल की बात कर अपनी सरकार की विफलता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। खरगे ने बुधवार को पार्टी के नये मुख्यालय इंदिरा भवन में विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी देश में संघवाद की बात कर सभी राज्यों के साथ समानता की बात करते हैं, लेकिन सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और गैर-भाजपा शासित राज्यों के प्रति उनका नजरिया भिन्न-भिन्न होता

है ।मोदी और उनकी सरकार संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा करने में असफल रही है और विपक्ष के साथ जबरदस्त भेदभाव कर देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। उनका कहना था कि जब पूरा देश पहलगाम हमले के बाद एकजुट था और कांग्रेस सहित सारे विपक्ष ने सरकार के हर फैसले में उसका साथ दिया तो जवाब में मोदी सरकार जनता और लोकतंत्र के हितों को महत्व देने की बजाय आपातकाल की बात कर विपक्ष के खिलाफ साजिश कर रही है।

हिमाचल में बादल फटने से तबाही

शिमला,25 जून. मॉनसून की दस्तक के बाद बुधवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश ने कई जगह तबाही मचा दी है. कुल्लू जिले की बंजार, सैंज, मणिकर्ण से लेकर मनाली तक विभिन्न स्थानों पर बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

कुल्लू के सैंज के जीवानाला, गड़सा के शिलागढ़, मनाली के स्रो गैलरी और बंजार के होरनगाड़ में बादल फटने की घटनाएँ दर्ज की गईं. इसी प्रकार, गड़सा घाटी में हुरला नाला, पंचा नाला और मनिहार नाला; मणिकर्ण के ब्रह्म गंगा नाला, ग्ररहण, कुथी काकड़ी नाला; और जिभी के पास कोटलाधार में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई. प्रशासन ने शिलागढ़ क्षेत्र में भी बादल फटने की आशंका जताई है. सैंज के जीवानाला में बादल फटने से पूरी घाटी में दहशत का माहौल रहा. अतिरिक्त उपायुक्त अश्वनी कुमार ने बादल फटने की पुष्टि की है. वहीं, कांगड़ा जिले की खनियारा की मनूणी खड्ड में एक व्यक्ति के बह जाने से उसकी मौत हो गई है. प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भारी बारिश दर्ज की गई है.सैंज बाजार रोड क्षतिग्रस्त हो गई है और जीवानाला में एक जीप व एक मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट भी बाढ़ में बह गया है. सियूंड मार्ग को भी नुकसान हुआ है, जहाँ एक अस्थायी दुकान बह गई. सैंज घाटी के रैला बिहाल क्षेत्र में बादल फटने से चार मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं. इस घटना में तीन व्यक्तियों के बह जाने की सूचना है, जो अपना सामान निकालते समय हादसे का शिकार हो गए. जिला प्रशासन ने तुरंत राहत, खोज एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है. जीवानाला में बादल फटने से बिहाली गांव से लेकर लारजी तक सात से अधिक पुलियों के बहने की भी खबर है.

पुणे मेट्रो के फेज-2 को केंद्र की मंजूरी

- दो नई लाइनों का होगा निर्माण, कैबिनेट का फैसला
- 3626 .24 करोड़ रुपये खर्च होंगे

पुणे/नई दिल्ली, 25 जून. केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे में मेट्रो के विस्तान को मंजूरी प्रदान की है. पुणे मेट्रो के दूसरे चरण के दो नई लाइनों को निर्माण किया जाएगा. बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई।

कैबिनेट मीटिंग के बाद महाराष्ट्र को यह गुड न्यूज मिली. केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के

अनुसार महाराष्ट्र के पुणे में 12.75 किलोमीटर की मेट्रो लाइन का निर्माण होगा. इस पर 3626.24 करोड़ रुपये खर्च होंगे. कैबिनेट फेज 2 की मंजूरी के साथ पुणे मेट्रो चरण-1 का वनाज़ से रामवाड़ी तक विस्तार भी स्वीकृत किया गया है. दूसरे फेज में लाइन 2 (वनाज से चांदनी चौक) और लाइन 2बी(रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी) शामिल हैं.

सीएम फडणवीस-पवार ने जताया आभार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे में मेट्रो विस्तार को स्वीकृति देने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह भी विश्वास जताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय पुणे में यातायात की भीड़ को दूर करने, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुणे और उसके आसपास के आर्थिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

बिहार के मंत्री बने असिस्टेंट प्रोफेसर

पटना, 25 जून. बिहार के वरिष्ठ मंत्री अशोक कुमार चौधरी (56) का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है. बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग द्वारा राजनीति विज्ञान विभाग में 280 रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें से 274 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, और चौधरी भी उनमें से एक हैं. आयोग ने मंगलवार शाम को इन शिक्षक नियुक्तियों की घोषणा की. बीएसयूएससी ने कुल 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की रिक्तियों के लिए कई विषयों में विज्ञापन दिया था. यह चयन शैक्षणिक प्रदर्शन, शिक्षण अनुभव और प्रकाशित कार्यों के आधार पर किया गया, जिसके बाद एक साक्षात्कार भी हुआ. चौधरी का चयन अनुसूचित जाति श्रेणी में हुआ है.

पांचवीं से पढ़ाई जाए हिंदी

पुणे,25 जून. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य के स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. पवार ने सूबे में पहली कक्षा से तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने के फैसले का विरोध किया है. उन्होंने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में जारी बवाल के बीच सुझाव दिया कि हिंदी की पढ़ाई पांचवीं कक्षा से शुरू की जानी चाहिए. पवार ने यह भी जोर दिया कि बच्चों को पहली कक्षा से मराठी भाषा सीखने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वे इसे अच्छी तरह पढ़ और लिख सकें.

'कोई भी किसी खास भाषा को पढ़ाने के खिलाफ नहीं'

पत्रकारों से बातचीत के दौरान पवार ने कहा, 'मुख्यमंत्री ने सोमवार को इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई. मेरा मानना है कि हिंदी को पहली कक्षा से चौथी

कक्षा तक शुरू नहीं किया जाना चाहिए. इसे पांचवीं कक्षा से शुरू किया जाना चाहिए. छात्रों को पहली कक्षा से मराठी सीखनी चाहिए और इसे धाराप्रवाह पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए.'

पवार ने यह भी कहा कि कोई भी किसी खास भाषा को पढ़ाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन छोटी उम्र में बच्चों पर अतिरिक्त भाषा का बोझ डालना ठीक नहीं है.

आज का इतिहास

1721: डॉ ज़बडीएल बॉयलस्टोन अमेरिका प्रथम चेचक की औषधि बनाया।
1848: पेरिस में जून दिवस विद्रोह का अंत किया गया।
1870: क्रिसमस को संयुक्त राज्य में एक संघीय अवकाश घोषित किया गया।
1879: जर्मन कंपनी लिंडे कार्ल वॉन लिंडे द्वारा स्थापित की गई।
1906: पहला ग्रांड प्रिक्स ले मैन्स, फ्रांस में आयोजित किया गया।
1919: अमेरिका में न्यूयॉर्क डेली न्यूज का प्रकाशन शुरू हुआ।
1945: सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये।

आगरा में खुलेगा आलू केंद्र

केंद्र सरकार जल्द दे सकती है मंजूरी, योगी ने लिखा था पत्र

नई दिल्ली,25 जून केंद्र सरकार पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के एक क्षेत्रीय सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दे सकती है. सीआईपी आलू और शकरकंद पर केंद्रित एक प्रमुख अनुसंधान-सह-विकास संगठन है.

प्रस्तावित सेंटर सीआईपी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में स्थापित किया जाएगा. यह न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों के किसानों की सेवा करेगा, बल्कि दक्षिण एशियाई देशों की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा. जानकारी मिली है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है.

यह विकास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा केंद्र को आगरा जिले में सीआईपी के एक क्षेत्रीय केंद्र की शीघ्र स्थापना के लिए पत्र लिखने के कुछ महीनों बाद आया है.= हाल ही में, कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में कृषि मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने पेरू का दौरा भी किया था.सेंटर की स्थापना में हो रही देरी को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने 20 जनवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा था.

एक नजर में

इजरायली हमलों से 70 फिलीस्तीनी मारे गए

गाजा .गाजा पट्टी में मंगलवार को इजरायली गोलीबारी और हवाई हमलों में कम से कम 70 फिलिस्तीनी मारे गए। स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों ने संवाद एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि इजरायली बलों ने दक्षिणी गाजा पट्टी में राफा के उत्तर में शाकौश क्षेत्र में एक अमेरिकी समर्थित सहायता वितरण केंद्र के पास जुटे फिलिस्तीनियों की भीड़ पर गोलीबारी की। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के एक चिकित्सा स्रोत ने एजेंसी को बताया कि शाकौश में हुई इस गोलीबारी में कम से कम 25 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। सूत्र ने कहा,सुरक्षा स्थितियों और क्षेत्र की दूरस्थता के कारण घायलों को पास के फील्ड अस्पतालों में ले जाने के लिए जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया।

कोलंबिया में भूस्खलन से आठ की मौत

बोगोटा . उत्तर पश्चिमी कोलंबिया में एंटिओक्विया विभाग के बेलो नगरपालिका में मंगलवार को भूस्खलन में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी ।मेयर लोरेना गोंजालेज ने कहा, ऽबहुत दुख के साथ मैं आपको सूचित करती हूं कि आज सुबह करीब 3ः25 बजे ग्रैनिज़ल सेक्टर में भूस्खलन हुआ। अब तक हमने आठ लोगों की मौत और पांच लोगों के घायल होने की पुष्टि की है।ऽ उन्होंने कहा कि ला नेग्रा धारा के ज्यादा प्रवाह से शुरू हुए भूस्खलन ने एल पिनार पड़ोस के 10 घरों को प्रभावित किया।

किशोर की मौत पर मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त को नोटिस

नई दिल्ली . राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सरकारी किशोर सुधार गृह में एक किशोर की मौत पर स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है . आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर आज स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें दिल्ली के मजनू का टीला क्षेत्र में सरकारी किशोर सुधार गृह में बंद 17 वर्षीय एक किशोर की उसके दो साथी कैदियों से मारपीट में गंभीर चोट आने के कारण मौत हो गई थी . उन्होंने कहा कि 17 जून को हुई इस घटना में घायल पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया .

एयर इंडिया की फ्लाइट में हड़कंप

- लैंडिंग से पहले टर्बुलेंस का शिकार हुआ विमान
- महिला यात्री गिर पड़ी, केबिन का सामान बिखरा

पटना, 25 जून दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट मंगलवार को टर्बुलेंस में फंस गई, जिससे विमान के अंदर पटना आने वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया और कुछ देर के लिए चीख-पुकार मच गई.

171 यात्रियों के साथ विमान संख्या ए.आई 0407 मंगलवार को 6 घंटे की देरी से दोपहर 2 बजकर 40 मिनट पर दिल्ली एयरपोर्ट से पटना के लिए उड़ान भरी. पटना में

लैंडिंग से ठीक पहले फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई. विमान में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई.

विमान झटका देने लगा और लगभग 10 मिनट तक यह सिलसिला चला.एक यात्री ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि उड़ान के दौरान एयर इंडिया के एयर होस्टेस यात्रियों के बीच जलपान परोस रहे थे. इसके कुछ देर बाद अचानक विमान टर्बुलेंस में फंस गया. यात्रियों का जलपान भी इधर-उधर बिखर गया. यात्री ने बताया कि दिल्ली से पटना जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तेज़ झटकों से हड़कंप मच गया. एक महिला यात्री गलियारे में गिर पड़ी. लगेज केबिन के हिस्से टूट गए.एयर इंडिया के अधिकारियों के अनुसार, अचानक हवा का तेज़ झोंका आया और विमान असंतुलित होने लगा.

जगन्नाथ रथ यात्रा में सुरक्षा चाक-चौबंद

पुरी, 25 जून. महाप्रभु जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है. अनुमान है कि इस बार रथयात्रा में 10 लाख से अधिक भक्त दर्शन के लिए उमड़ेंगे. भक्तों की इस अपार भीड़ के बीच पुलिस और प्रशासन के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सुचारु यातायात की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है. रथयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. रथयात्रा में एआई कैमरों और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और यातायात का प्रबंधन किया जाएगा. इसके लिए पुरी टाउन पुलिस स्टेशन में एक एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है,

बड़ा कदम — द्वारका एक्सप्रेसवे पर हाईटेक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली लागू

पहला एआई-आधारित एटीएमएस लॉन्च

नई दिल्ली. 25 जून.भारत ने बुधवार को दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर अपना पहला एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है. यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नवीनतम 2023 दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जो स्मार्ट और सुरक्षित राजमार्गों की दिशा में एक बड़ा कदम है. द्वारका एक्सप्रेसवे और एनएच-48 के शिव मूर्ति से खेड़की दौला तक के 28 किलोमीटर के खंड पर तैनात यह एटीएमएस प्रणाली एक प्रमुख राष्ट्रीय गलियारे को अगली पीढ़ी के डिजिटल राजमार्ग में बदल रही है.

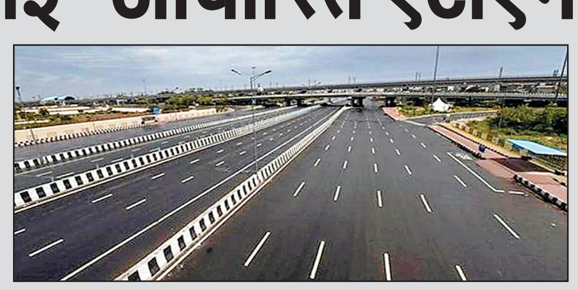

इस प्रणाली को इंडियन हाईवेज़ मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और एनएचएआई द्वारा लागू किया गया है. यह परियोजना 56.46 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और इसे एआई-आधारित यातायात शासन और सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में मान्यता दी जा रही है. आईएचएमसीएल के मुख्य उत्पाद अधिकारी, अमृत सिंघा ने बताया कि एटीएमएस में यातायात कानूनों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए विभिन्न घटक हैं, जैसे सीटबेल्ट न लगाना, ट्रिपल राइडिंग और ओवरस्पीडिंग का पता लगाना.सिंघा ने दिल्ली में कहा, एटीएमएस परियोजना के विभिन्न घटकों को कवर किया गया है. प्रमुख घटक ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरे हैं, दूसरा वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन और एन्फोर्समेंट सिस्टम है. इन सभी के माध्यम से, हम लगभग 14 विभिन्न प्रकार की घटनाओं का पता लगाने में सक्षम हैं, जिनमें ओवरस्पीडिंग, सीटबेल्ट न लगाना और ट्रिपल राइडिंग शामिल हैं.

सत्यमेव जयते

वसूली अधिकारी-I का कार्यालय
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

बिक्री उद्‌घोषणा सूचना

टी.आर. सी. संख्या 103/2024

आईएफसीआई लिमिटेड बनाम सूर्या एग्रोऑयल्स लिमिटेड

आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52 (2) के साथ पठित बैंक व वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के अंतर्गत बिक्री की उद्‌घोषणा

सीडी#1 मैसर्स सूर्या एग्रोऑयल्स लिमिटेड,
1 औद्योगिक क्षेत्र, सलामतपुर, जिला रायसेन, म.प्र.-464651
इसके साथः सूर्या हाउस, जेड-5, जोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल, म.प्र.
आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से संबद्ध, प्रथम तल, पुरानी सीआईए बिल्डिंग, सामने, जीपीओ रेजीडेंसी एरिया, इंदौर-452001 (म.प्र.)
सीडी#2 संदीप माहेश्वरी, पुत्र पी.के. माहेश्वरी,
ई-3/22, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र.-462016
सीडी#3 प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी, पुत्र पी.के. माहेश्वरी,ई-3/22,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र.-462016
सीडी#4 एस.के.भार्गव
ए-21, ओबेरॉय अपार्टमेंट, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054
सीडी#5 अजय जैन, पुत्र स्व. त्रिलोक चंद जैन,
ई-3/22, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र.-462016
सीडी#6 मैसर्स बेतवा रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड,
जेड-5, जोन-I, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल, म.प्र
सीडी#7 मैसर्स बेतवा फिनलीज प्रा. लिमिटेड,
जेड-5, जोन-I, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल, म.प्र
सीडी#8 मैसर्स शिविर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड,
(तत्कालीन सूर्या क्रेडिट्स लिमिटेड) 4, बैंक कॉलोनी, अलवर-201001, राजस्थान
इसके साथः 3, सिंधिया हाउस, जनपथ, नई दिल्ली-110001

1. जबकि हस्तांतरण वसूली प्रमाण पत्र संख्या 103/2024, ओए संख्या 9/2005 में दिनांक 12.04.2012 को पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I द्वारा वाद शुरू करने की तिथि से वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार लागत और प्रभारों सहित प्रमाण पत्र देनदारों से 25.01.2005 से इसकी वसूली तक 14% प्रति वर्ष की दर से **11,02,01,594/- रुपये (ग्यारह करोड़ दो लाख एक हजार पांच सौ चौरानवे रुपए केवल)** की राशि की वसूली के लिए तैयार किया गया था।
2. और जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र की संतुष्टि में नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी भी स्थगन आदेश के अभाव में, उक्त संपत्ति **ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी और बोली वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से 13.08.2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच की जायेगी**, यदि आवश्यक हुआ तो दोपहर 12 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ होगी।
4. बिक्री उपरोक्त सीडी(एस) की संपत्ति की होगी जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावे, जहां तक उन्हें सुनिश्चित किया गया है, प्रत्येक लॉट के अनुरूप अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
5. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से पूरी हो जाती है, तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि नीलामी रद्द होने से पहले, उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया राशि, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज और लागत अधोहस्ताक्षरी को भुगतान कर दी गई है, तो बिक्री भी रोक दी जाएगी।
6. बिक्री के संबंध में कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बेची गई संपत्ति में कोई हित बोली नहीं लगा सकेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं कर सकेगा।
7. बिक्री, आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगीः

7.1 संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्‌घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

7.2 **पैरा (1) में उल्लिखित प्लाट सं० 232, जोन I, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, पर निर्मित 27.34 वर्गमीटर व 31.45 वर्ग मीटर, जिसकी संख्या 104 व 105 है, के लिए आरक्षित मूल्यः रुपये 76,20,000/-(छिहत्तर लाख बीस हज़ार केवल) तथा बयाना राशि (ईएमडी) रुपये 7,62,000/-(सात लाख बासठ हज़ार केवल) है, आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।**

7.3 इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने 11.08.2025 तक शाम 5 बजे से पहले वसूली अधिकारी-I, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली के कार्यालय में पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण आदि सहित दस्तावेजों के साथ आरक्षित मूल्य से कम नहीं, अपनी बोलियां जमा की हैं, वे 13.08.2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।

7.4 बोलीदाताओं को संपत्ति के संबंध में **रुपए 1,00,000/- (एक लाख रुपये केवल) के गुणकों में अपना प्रस्ताव बढ़ाना होगा।**

7.5 असफल बोली लगाने वाले को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने पर तुरंत वसूली अधिकारी- I, डीआरटी-II, दिल्ली/ सीएचएफआई, यानी, आईएफसीआई के कार्यालय से सीधे ईएमडी लेना होगा।

7.6 सफल/उच्चतम बोलीदाता को बोली /बिक्री राशि का 25% डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर तैयार कर ई-नीलामी समाप्ति के 24 घंटे के भीतर वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता **टीआरसी संख्या 103/2024** के पक्ष में जमा करना होगा तथा ईएमडी समायोजित करने के बाद उसे वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में इस प्रकार भेजना/जमा करना होगा कि वह ई-नीलामी समाप्ति के 24 घंटे के भीतर पहुंच जाए, अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

7.7 सफल/उच्चतम बोलीदाता को, वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता टी. आर.सी. संख्या **103/2024** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा, बिक्री आय का शेष 75% वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष, संपत्ति की नीलामी की तारीख से 15वें दिन से पहले, उस दिन को छोड़कर, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस को, 1000/- रुपये तक 2% की दर से और 1000/- रुपये से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रजिस्ट्रार, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा (शेष 75% राशि डाक के माध्यम से जमा करने की स्थिति में उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए)।

7.8 सफल/उच्चतम बोली लगाने वाला इस फोरम के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर लागू टीडीएस का भुगतान करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194-आईए के प्रावधानों का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में, सफल/उच्चतम बोली लगाने वाले को शेष बिक्री आय का भुगतान करते समय इस फोरम के समक्ष उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

7.9 निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्‌घोषणा जारी होने के बाद, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। यदि बोली अनुचित पाई जाती है तो अधोहस्ताक्षरी को किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

8. संपत्ति **"जैसा है जहां है और जो है जैसा है"** के आधार पर बेची जा रही है।
9. सीएच बैंक/सीएचएफआई को यहां दिए गए विवरणों की सत्यता को प्रमाणित और सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
10. यदि अनुचित पाया जाता है तो किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

संपत्ति की अनुसूची

बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर राजस्व का आकलन किया गया	किसी भी बाधा का विवरण जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है	दावा, यदि कोई हो, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किया गया हो, और इसकी प्रकृति और मूल्य पर असर डालने वाले अन्य ज्ञात विवरण।
104 और 105 का माप 27.34 वर्ग मीटर व 31.45 वर्ग मीटर. है और जो प्लॉट नं. 232, जोन-I महाराणा प्रताप नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश पर निर्मित है।	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है

दिनांक **11.06.2025** को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से दिया गया।

Seal

(वात्सल्य कुमार)
वसूली अधिकारी-II
डीआरटी-II, दिल्ली